



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938

No. 451]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 2 दिसंबर, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम)(पहला संशोधन) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/23/135/2016 .— बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए की उपधारा 2 के खंड (जीवी) के साथ पठित धारा 14 (2) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम)(पहला संशोधन) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. विनियम 2(vi): शब्द "इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होंगे" के बाद शब्द "अथवा एक बार के पासवर्ड द्वारा उसे वैधीकृत किया जाएगा" जोड़े जाएँगे।

3. विनियम 3(v): शब्द "इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होंगे" के बाद शब्द "अथवा एक बार के पासवर्ड द्वारा उसे वैधीकृत किया जाएगा" जोड़े जाएँगे।

टी. एस. विजयन , अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/असाधारण/341(161)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 2nd December, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of e-insurance policies) (First Amendment) Regulations, 2016

F. No. IRDAI/Reg/23/135/2016 - In exercise of the powers conferred by section 14(2) read with clause (gb) of sub-section 2 of section 114A of the Insurance Act, 1938, and sub-section (1) of section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee hereby makes the following regulations, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of e-insurance policies) (First Amendment) Regulations, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.
2. Regulation 2(vi): to add the words “or be validated by One Time Password” after the words “electronic signature”.
3. Regulation 3(v): to add the words “or be validated by One Time Password” after the words “electronic signature”.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty/341(161)]